

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-8
संख्या- 2/2018/774/1-8-2018-रा0-8
लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2018

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में अनुदान संख्या-52 के लेखा शीर्षक-2029-भू-राजस्व- आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबन्दी-01-मुख्यालय अधिष्ठान एवं 02-जिला अधिष्ठान के व्यय के लिए प्राविधानित (मतदेय/भारित) हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शासन के आदेश संख्या-694/1-8-2018-रा0-8-2243/2017, दिनांक 17.04.2018 द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया है। उक्त आदेश के संलग्नक के पृष्ठ4 के कुल योग (क+ख) मतदेय के कॉलम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि त्रुटिवश रू0 54153.51 लाख के स्थान पर रू0 54083.51 लाख अंकित हो गया है। अतः प्राविधानित धनराशि रू0 54153.51 लाख पढ़ा जाय।

2- उक्त आदेश संख्या-694/1-8-2018-रा0-8-2243/2017, दिनांक 17.04.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त आदेश के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), 30प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, चकबन्दी आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. राजस्व अनुभाग-6
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।